

सोशल मीडिया शिकायत के लिये अपीलीय समितियों का प्रस्ताव

प्रलिस के लिये:

शिकायत अपीलीय समिति, आईटी नयिम, 2021 ।

मेन्स के लिये:

आईटी नयिम, 2021 में संशोधन की आवश्यकता ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिये 'शिकायत अपीलीय समितियों' के गठन का प्रस्ताव रखा गया है ।

शिकायत अपीलीय समितियाँ:

परचिय:

- आईटी नयिम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक 'शिकायत अपीलीय समितियों' का गठन किया जाएगा ।
- अपीलीय समितियाँ सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के नरिणय के वरिद्ध प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करेंगी ।
- इस समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे ।

कार्य:

- सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत अपील समिति में अपील कर सकता है ।
- शिकायत अपील समिति ऐसी अपील पर तेज़ी से कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्त की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी ।
- शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा ।

शिकायत अपीलीय समितियों की आवश्यकता:

- वर्ष 2021 में 'कंटेंट मॉडरेशन एंड टेकडाउन' को लेकर सरकार और [सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म](#) के बीच कई गतरिध उत्पन्न हुए ।
 - सरकारी आदेशों के बाद कसिन आंदोलन के समर्थन में संदेश पोस्ट करने वाले समाचार वेबसाइटों, अभनिताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्लॉगर्स के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया ।
- जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट का तेज़ी से वसितार हो रहा है, सरकारी नीतियों से संबंधित नए मुद्दे भी सामने आते रहते हैं । अतः ऐसे मुद्दों से निपटने के लिये **कमियों को दूर करना आवश्यक** हो जाता है ।

आईटी नयिम, 2021:

परचिय:

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नयिम सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित किये गए थे ।

मुख्य वशिषताएँ:

- भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक अधिसूचित सीमा से ऊपर सोशल मीडिया मध्यस्थों को [महतत्वपूरण सोशल मीडिया मध्यस्थों \(SSMI\)](#) के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।
- SSMI को अनुपालन कर्मियों को नियुक्त करने, सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने और सामग्री की पहचान के

लघु प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

- सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शिकायतों के समाधान के लिये शिकायत नविवरण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।
- समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ-साथ 'क्यूरेटेड ऑडियो-विजुअल' सामग्री के वनियमन के लिये एक रूपरेखा निर्धारित की है।
- प्रकाशकों के लिये स्व-नियमन के विभिन्न स्तरों के साथ एक त्रि-स्तरीय शिकायत नविवरण तंत्र निर्धारित किया गया है।

SOCIAL MEDIA

- Identify 'first originator' of content that authorities consider anti-national
- Appoint grievance officer, resolve complaints in 15 days
- File monthly compliance report on complaints received, action taken

DIGITAL NEWS

- Follow Press Council of India, Cable TV Networks (Regulation) Act norms.
- Self-regulatory bodies to oversee adherence to Code of Ethics
- I&B Ministry to form panel, oversight mechanism

OTT PLATFORMS

- Self-classify content into five age-based categories: (universal), U/A 7+ (years), U/A 13+, U/A 16+, and A.

- Parental locks for any content classified as U/A 13+ or above.
- Age verification mechanism for content classified as 'A' (adult)

प्रमुख मुद्दे:

- नयिम कुछ मामलों में [आईटी अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों से परे](#) जा सकते हैं, जैसे SSML और ऑनलाइन प्रकाशकों के वनियमन और कुछ मध्यस्थों को जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
- ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के आधार व्यापक हैं जो [अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं](#)।
- मध्यस्थों के पास से सूचना प्राप्त करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों के पास [प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय](#) नहीं हैं।
- इसके मंच पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने के लिये संदेश सेवाओं की आवश्यकता [व्यक्तियों की गोपनीयता](#) पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

वर्ष के प्रश्न(PYQs):

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लघु साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्ट करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केंद्र
3. नगिमति नकिया

नीचे दधि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) की धारा 70 बी के अनुसार, केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी को घटना की प्रतिक्रिया के लिये राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करना चाहयि।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 बी के अंतर्गत वर्ष 2014 में सीईआरटी-इन के नयिम स्थापति और अधिसूचति कधि। नयिम 12 (1) (A) के अनुसार, सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट नकियाओं को साइबर सुरक्षा घटनाओं की उचति समय-सीमा के अंदर CERT-In को रपिर्ट करना अनविर्य है। अतः कथन 1, 2 और 3 सही हैं।

अतः विकल्प D सही है।

स्रोत: द हट्टू

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/proposal-of-appellate-committees-for-social-media-grievance>

